


प्रशासनिक आदेश सं० 203/2018

मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्रांक—4187/XIII-d-1/Admin.A/2007, दिनांक 12.09.2018 के क्रम में न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप, Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या—1973/UHC/Admin.-B/XVII/-51/2008, Dated: 22-04-2015 के अनुपालन में जजशिप, ऊधम सिंह नगर एवं परिवार न्यायालय, ऊधम सिंह नगर के लिये प्रशासनिक आदेश सं०—76/2018 द्वारा गठित Complaint Committee निम्नानुसार पुर्नगठित की जाती है:—

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्रीमती मोनिका मित्तल, अपर जिला जज, खटीमा | — अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती प्रीतू शर्मा, प्रथम अपर जिला जज, काशीपुर | — सदस्य |
| 3. श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान, अपर जिला जज (पॉक्सो), रूद्रपुर | — सदस्य |
| 4. सुश्री पारूल थपलियाल, सिविल जज (जू०डि०), बाजपुर | — सदस्य |
| 5. श्री प्रकाश चन्द्र, सिविल जज (जू०डि०), जसपुर | — सदस्य |
| 6. कु० अनीता सक्सेना, एडवोकेट, रूद्रपुर | — सदस्य |

तदनुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।


 जिला न्यायाधीश,
 ऊधम सिंह नगर।